राजस्थान नगरपालिका विज्ञापन नियम, 1982

स्वायत्त शासन विभाग

(अधिसूचना सं. एफ. 3(45)/डीएलबी/एम 81, दिनांक 6 मई, 1982)

जी.एस.आर. 26 – राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 297 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ –(1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका (विज्ञापन नियम, 1982 है।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राज्य की समस्त नगरपालिकाओं पर होगा।

(3) ये नियम राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,

(क) 'बोर्ड' तथा 'परिषद' के वही अर्थ होंगे जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) में क्रमशः उन्हें समनुदेशित किये गये हैं,

(ख) 'नगरपालिका विज्ञापन' से इन नियमों के अधीन बोर्ड या परिषद् यथास्थिति द्वारा दिये गये वर्गीकृत या प्रदर्शन विज्ञापन अभिप्रेत हैं,

(ग) 'निदेशक' से निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है।

(घ) 'समाचार पत्र' से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा मुद्रित नियम कालिक पत्र अभिप्रेत है जिसमें लोक समाचार मुद्रित होते हैं, तथा

(च) 'अनुमोदित समाचार पत्र' से सरकारी विज्ञापन देने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित समाचार अभिप्रेत है।

3. अनुमोदित समाचार पत्रों में विज्ञापन देना – सरकार द्वारा जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष निदेश के अध्यधीन तथा नियम 4 में यथा उपबन्धित के सिवाय विज्ञापन अनुमोदित समाचार पत्रों में तथा ऐसे समाचार पत्रों के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा नियत दरों पर दिये जायेंगे।

4. सोविनियर, ईयर बुक तथा पत्रिकाओं आदि में प्रदर्शित विज्ञापन–

(1) सोविनियर, ईयर बुक तथा पत्रिकाओं आदि से प्रदर्शन दीपावली, होली, दशहरा, विशेष आयोजनों, खेलकूद तथा विशेष स्थानीय त्योहार के लिए दिए जा सकेगे, परन्तु ऐसी सोविनियर ईयर बुक तथा पत्रिकाओं आदि का आकार कम से कम 50 पृष्ठ का होना चाहिए तथा जिसमें कम से कम दो तिहाई भाग पर सामग्री छपी हुई हो :

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रदर्शन विज्ञापन किसी दल, संगठन, संस्था या व्यक्ति विशेष को फायदा पहुॅचाने के लिए नहीं होना चाहिए।

(2) नगरपालिका/परिषद् और निगम अपने बजट की वित्तीय सीमा में रहते हुए कुल निम्न राशि तक प्रदर्शन विज्ञापन दे सकेंगे :–

1. नगर निगम	कोई सीमा नहीं
2. नगर परिषद, सभापति	10,000/–
आयुक्त	5,000/–
	(यह सीमा किसी एक विज्ञापन तक के लिए सीमित है परन्तु एक माह में सभापति कुल मिलाकर 30 हजार रूपये तक के और आयुक्त पन्द्रह हजार रूपये से अधिक के विज्ञापन नही देंगें)
3. अन्य नगर पालिकाएं	
अध्यक्ष	5,000/–
अधिशाषी अधिकारी	1,000/–
	(यह सीमा एक बार के विज्ञापन के लिए है, परन्तु एक माह में अध्यक्ष रू. 15,000/– से अधिक और अधिशाषी रू. 3,000/– से अधिक के विज्ञापन नहीं देंगे।)

5. संदाय – (1) नगरपालिका विज्ञापनों से संबंधित बिलों का समस्त संदाय सबंधित नगरपालिका द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी भी ऐसे विज्ञापन बिल का संदाय नहीं किया जायेगा, यदि वह–

(क) उस तारीख के पश्चात् प्रकाशित किया गया है जिस तक उसे प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था, या

(ख) अशुद्ध रूप से प्रकाशित किया गया है, या

(ग) सक्षम प्राधिकारी के पूर्व आदेशों के बिना प्रकाशित किया गया है :

परन्तु खण्ड (अ) की दशा में यदि पर्याप्त समय शेष हो तो अनुमोदित समाचार पत्र को उसे शुद्ध रूप से उसे पुनः प्रकाशित करने का अवसर दिया जायेगा तथा यदि पर्याप्त समय शेष नहीं हो और गलती ऐसी नहीं है है कि जिससे विज्ञापन का प्रयोजन विफल न हो तो संबंधित नगरपालिका उसका सम्पूर्णः या अंशतः संदाय कर सकेगी।

6. निविदा सूचनाओं का प्रकाशन– (1) निविदाये आमंत्रित करने की समस्त सूचनाएं निम्नलिखित श्रेणी के अनुमोदित समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जा सकेगी, अर्थात्–

(क) 20,000 रूपये तक	किसी एक स्थानीय दैनिक/साप्ताहिक/मासिक समाचार पत्र में।
(ख) 20,000 रूपये से अधिक किन्तु 10 लाख रूपये तक	राजस्थान के किसी एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में।
(ग) 10 लाख रूपये से ऊपर	राजस्थान के किसी एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र तथा एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका परिचालन सम्पूर्ण भारत में हो।

स्पष्टीकरण – 'स्थानीय समाचार पत्र' से ऐसा समाचार पत्र अभिप्रेत है जो संबंधित बोर्ड या परिषद के मुख्यालय के या उसी जिले या निकटस्थ जिले से प्रकाशित किया जाता है।

(2) कार्य निष्पादित करने तथा सामान सप्लाई करने के लिए कोई विज्ञापन एक बार ही प्रकाशित करवाया जाएगा।

7. निरसन तथा व्यावृत्ति – (1) विद्यमान समस्त अनुदेश, निर्देश तथा आदेश इन नियमों के प्रारम्भ होने पर अतिष्ठित हो जायेंगे।

(2) इस प्रकार अतिष्ठित अनुदेशों तथा आदेशों के अधीन पूर्व में की गई सभी कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन की गई समझी जायेगी।